न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 147/2018

1. रोहित पुत्र श्री नाथूलाल जाति धाकड निवासी सीसवाली मांगरोल जिला बारां
2. पुनीत पुत्र श्री नाथूलाल जाति धाकड निवासी सीसवाली मांगरोल जिला बारां

...वादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

♠ बनाम ♠

1. नाथूलाल पुत्र रामप्रताप जाति धाकड निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 53 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादी : श्री दयाकृष्ण धाकड
वकील प्रतिवादी : स्वयं वादी
दायरा दिनांक: 26.12.2018 निर्णय दिनांक : 02.01.2019

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण की पैतृक आराजी वाके ग्राम सीसवाली की जमाबंदी सम्वत 2073-76 में खाता संख्या 415 खसरा नं0 3139 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 3143 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 3144 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 3145 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 3147 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 3148 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0 3150 रकबा 0.54 है0, खसरा नं0 3631 रकबा 0.72 है0, खसरा नं0 3665 रकबा 0.90 है0, खसरा नं0 5279 रकबा 2.70 है0, खसरा नं0 5390 रकबा 0.31 है0, खसरा नं0 5391 रकबा 2.72 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 8.54 है0 दर्ज रेकार्ड है। जो वादीगण के पिता प्रतिवादी कम 1 के खाते दर्ज है। जिसे आगे विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। उक्त वर्णित आराजी पुश्तैनी व पैतृक आराजी है जिसमें वादीगण का जन्म से हित निहित है। उक्त वर्णित आराजी में वादीगण का हिस्सा 1/3 निहित है। जिस पर वादीगण का पैतृक हक व अधिकार है। जिसे वादीगण का गत कई वर्षो से काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण का नाम उक्त विवादित आराजी में खातेदार के रूप में दर्ज नही होने के कारण वह सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नही कर पा रहे है। इसलिए वादीगण को ग्राम सीसवाली की उक्त आराजीयात पर प्रतिवादी कम 1 के साथ हिस्सा बराबर प्रत्यें को हिस्सा 1/3 का खातेदार कृषक घोषित किया जाना न्याय हित में आवश्यक है जिसके वादीगण कानूनन अधिकारी व नालिसी है। अतः निवेदन है कि बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिकी पारित कि जावें कि:- पुश्तैनी व प्रैतृक आराजी वाके ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल जमाबंदी सम्वत 2073-76 में खाता संख्या 415 खसरा नं0 3139 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 3143 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 3144 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 3145 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 3147 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 3148 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0 3150 रकबा 0.54 है0, खसरा नं0 3631 रकबा 0.72 है0,

खसरा नं0 3665 रकबा 0.90 है0, खसरा नं0 5279 रकबा 2.70 है0, खसरा नं0 5390 रकबा 0.31 है0, खसरा नं0 5391 रकबा 2.72 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 8.54 है0 में हिस्सा 1/3 का प्रत्येंक वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावें तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु प्रतिवादी कम 2 को आदेश दिया जावें। उक्त विवादित आराजी में से हिस्सा वादीगण प्रत्येंक का 1/3 पृथक पृथक वादीगण व प्रतिवादी कम 1 के पृथक से खाते दर्ज किया जावें तथा राजस्व रेकार्ड में पृथक से दर्ज किया जाकर पृथक से कर्ता पिलाई कायम किये जाने के आदेश प्रतिवादी कम 2 को दिया जावें। प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना करें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 26.12.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण कम 1 के दिनांक 02.01.2019 को न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामा पत्र में निम्नानुसार आराजी का बंटवारा किये जाने में वादीगण व प्रतिवादी कम 1 सहमति प्रदान की:—

01. वादी कम 1 रोहित पुत्र श्री नाथूलाल जाति धाकड निवासी सीसवाली मांगरोल के हिस्से में खसरा नं0 5279 रकबा 2.70 है0 आराजी राजस्व रेकार्ड में पृथक से दर्ज होगी।
02. वादी कम 2 पुनीत पुत्र श्री नाथूलाल जाति धाकड निवासी सीसवाली के हिस्से में खसरा नं0 5390 रकबा 0.31 है0, खसरा नं0 5391 रकबा 2.72 है0 आराजी राजस्व रेकार्ड में पृथक से दर्ज होगी।
03. प्रतिवादी कम 1 नाथूलाल पुत्र रामप्रताप जाति धाकड निवासी सीसवाली के हिस्से में खसरा नं0 3139 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 3143 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 3144 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 3145 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 3147 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 3148 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0 3150 रकबा 0.54 है0, खसरा नं0 3631 रकबा 0.72 है0, खसरा नं0 3665 रकबा 0.90 है0 आराजी राजस्व रेकार्ड में पृथक से दर्ज होगी। रहन सीबीआई शाखा सीसवाली यथावत रहेगा।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन, मनन व अध्ययन किया गया। प्रकरण में दिनांक 02.01.2018 को वादीगण के अधिवक्ता व प्रतिवादी कम 1 स्वयं की बहस सुनी गयी। वादीगण के अधिवक्ता व स्वयं प्रतिवादी कम 1 ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यों का कथन किया है जिनका उनके द्वारा अपने राजीनामा पत्र में अंकन किया गया है। एवं राजीनामा अनुसार आराजी पृथक–पृथक दर्ज करने हेतु निवेदन किया है। अतः सुनी गयी बहस, प्रस्तुत दस्तावेज तथा वादीगण व प्रतिवादी कम 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पत्र के आधार

[illegible] स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल की आराजी कित्ता 12 रकबा 8.54 है0 जो वर्तमान में नाथूलाल पुत्र रामप्रताप धाकड सा0 देह रहन सीबीआई शाखा सीसवाली के नाम इन्द्राज है उसे हजफ कर उसके बजाय निम्नानुसार पृथक–पृथक खाते दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते है:–

01. वादी कम 1 रोहित पुत्र श्री नाथूलाल जाति धाकड निवासी सीसवाली मांगरोल के हिस्से में खसरा नं0 5279 रकबा 2.70 है0 आराजी राजस्व रेकार्ड में पृथक से दर्ज होगी।

02. वादी कम 2 पुनीत पुत्र श्री नाथूलाल जाति धाकड निवासी सीसवाली के हिस्से में खसरा नं0 5390 रकबा 0.31 है0, खसरा नं0 5391 रकबा 2.72 है0 आराजी राजस्व रेकार्ड में पृथक से दर्ज होगी।

03. प्रतिवादी कम 1 नाथूलाल पुत्र रामप्रताप जाति धाकड निवासी सीसवाली के हिस्से में खसरा नं0 3139 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 3143 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 3144 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 3145 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 3147 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 3148 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0 3150 रकबा 0.54 है0, खसरा नं0 3631 रकबा 0.72 है0, खसरा नं0 3665 रकबा 0.90 है0 आराजी राजस्व रेकार्ड में पृथक से दर्ज होगी। रहन सीबीआई शाखा सीसवाली यथावत रहेगा।

तहसीलदार मांगरोल उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रतिवादी कम 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण की आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2019 को सरेईजलास मजमेंआम में सुन